न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 731/2024

अनवान : –

1. दयाराम सहू पुत्र मनफूलराम सहू जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. मनफूलराम पुत्र सालुराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. ओम प्रकाश पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
4. रोहिताश कुमार पुत्र गांधीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
5. राजो देवी पत्नी गांधीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
6. कैलाश पुत्री गांधीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
7. गुड्डी पुत्री मनफूलराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
8. केसर पुत्री मनफूलराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 216/152 की कुल 9.3600 हैकट भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 211/131 की कुल 4.7360 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम दर्ज थी उनकी फौतगदी के बाद प्रतिवदी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा अपने भाईयो व भाईयों के वारिसों के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख 6 जो की प्रतिवादी संख्या 5 की पुत्री है ने अपना हक हिस्सा अपनी माता के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक वादी, प्रतिवादी संख 1 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक 1/5 हिस्सा भूमि पर तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बहिब 1/5 हिस्सा भूमि पर काबिज है [illegible] वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.04 13:14:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र गांधीराम, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में पक्षकारान का इकबाला प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज़ों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 216/152 की कुल 9.3600 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 211/131 की कुल 4.7360 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों [illegible] दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, [illegible] अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। प्रतिवादीया [illegible] हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली [illegible] दर्शाये गये सजरा खानदार के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.04 13:14:56 IST
Reason: SelfAttested

Ql

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संखया 1 ता 8 द्वारा इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 216/152 की कुल 9.3600 हैकट भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 211/131 की कुल 4.7360 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी, प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि के तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को बहिब 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/09/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.04 13:14:56 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 731/2024

अनवान : –

1. दयाराम सहू पुत्र मनफूलराम सहू जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मनफूलराम पुत्र सालुराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. ओम प्रकाश पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
4. रोहिताश कुमार पुत्र गांधीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
5. राजो देवी पत्नी गांधीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
6. कैलाश पुत्री गांधीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
7. गुड्डी पुत्री मनफूलराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
8. केसर पुत्री मनफूलराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 731 सन 2024 निर्णय दिनांक 13/09/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल व राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 216/152 की कुल 9.3600 हैकट भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 211/131 की कुल 4.7360 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी, प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि के तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को बहिब 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/09/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.04 13:14:56 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर